सं.ए.12018/2/2018-डीआर

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 10 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय सीडीटीएल, हैदराबाद, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर के पद के भर्ती नियमों में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमो का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले,इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया drugsdiv-mohfw@gov.in. पर भेजी जाएं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव,भारत सरकार

दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल-2	लागू नहीं	18-25 वर्ष के बीच

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या भेषजीय रसायन विज्ञान या फार्माकॉलोजी या सूक्ष्मजीवविज्ञान में डिग्री या समकक्ष। अथवा रसायनज्ञ संस्था (भारत) का एसोशिएट डिप्लोमा टिप्पणी: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा

या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	उसकी संरचना क्या है?	आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण/प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1 निदेशक, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हैदराबाद --- अध्यक्ष 2 उप निदेशक (प्रशासन) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली -- सदस्य 3. अन्य कोई भी समूह 'क' अधिकारी, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद-- सदस्य	लागू नहीं।

[फा.सं.ए.12018/02/2018-डीआर]

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार